न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 124/2024 राजस्व वाद
दावापत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. श्री दयाराम पुत्र श्री उदा जाति–गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

01. श्री जगु पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. रामा पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. मियाराम पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
04. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा – 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

स्थित:–
श्री मुकेश सिंह तंवर — अधिवक्ता वादी
एक तरफा कार्यवाही — प्रतिवादी संख्य 01 लगायत 04

:: निर्णय ::

दिनांक 03.02.2025

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183 – राज0 टिनेन्सी एक्ट तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम उमरी पटवार हल्का उमरी भू.अभिलेख निरीक्षक गोरख्या में अंकित खाता ग्रा–115 में वर्णित आराजी नम्बर–101/1, रकबा–0.1012 हैक्टर, आराजी नम्बर–102, रकबा–0.2 हैक्टर, आराजी नम्बर–103, रकबा–0.1518 हैक्टर, आराजी नम्बर–104, रकबा–0.2909 हैक्टर, राजी नम्बर–105/1, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–109, रकबा–0.1138 हैक्टर, आराजी र–166/1, रकबा–0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर–168/1, रकबा–0.3794 हैक्टर, आराजी र–168/2, रकबा–0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर–168/5, रकबा–0.6450 हैक्टर, आराजी र–208, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–209/1, रकबा–0.0253 हैक्टर, आराजी र–210/2, रकबा–0.2276 हैक्टर, आराजी नम्बर–211/2, रकबा–0.1265 हैक्टर, आराजी र–212/2, रकबा–0.2529 हैक्टर, आराजी नम्बर–212/3, रकबा–0.8347 हैक्टर, आराजी र–91, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–92/1, रकबा–0.1770 हैक्टर, आराजी नम्बर–94/1, बा–0.3035 हैक्टर कुल किता 19 कुल रकबा–3.8570 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादी के नाम दर्ज जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो रण संख्या 460/2023 पर दर्ज होकर दिनांक 16.05.2024 को निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेड़ा

भू.अभिलेख निरीक्षक गोरख्या एवं पटवारी पटवार हल्का उमरी के द्वारा पत्थरगढ़ी की गई जिसमें मौके पर आराजी नंबर–101/1, रकबा–0.1012 हैक्टर, आराजी नम्बर–102, रकबा–0.0632 हैक्टर, आराजी नम्बर–103, रकबा–0.1518 हैक्टर, आराजी नम्बर–104, रकबा–0.2909 हैक्टर, आराजी नम्बर–105/1, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–109, रकबा–0.1138 हैक्टर, आराजी नम्बर–166/1, रकबा–0.0885 हैक्टर, आराजी नम्बर–168/1, रकबा–0.3794 हैक्टर, आराजी नम्बर–168/2, रकबा–0.0379 हैक्टर, आराजी नम्बर–168/5, रकबा–0.6450 हैक्टर, आराजी नम्बर–208, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–209/1, रकबा–0.0253 हैक्टर, आराजी नम्बर–210/2, रकबा–0.2276 हैक्टर, आराजी नम्बर–211/2, रकबा–0.1265 हैक्टर, आराजी नम्बर–212/2, रकबा–0.2529 हैक्टर, आराजी नम्बर–212/3, रकबा–0.8347 हैक्टर, आराजी नम्बर–91, रकबा–0.0126 हैक्टर, आराजी नम्बर–92/1, रकबा–0.1770 हैक्टर, आराजी नम्बर–94/1, रकबा–0.3035 हैक्टर कुल किता–19, कुल रकबा–3.8570 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 अवैध कब्जा पाया गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी को सिपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण वाद पत्र पेश कर भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम उमरी पटवार हल्का उमरी के आराजी नंबर–168/2, रकबा–0.0379 हैक्टर में सम्पूर्ण, आराजी नम्बर–168/1, रकबा–0.3794 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर, आराजी नम्बर–94/1, रकबा–0.3035 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 03 का अवैध कब्जा है। उसे हटाकर वादी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएव:

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम उमरी पटवार हल्का उमरी के आराजी नंबर–168/2, रकबा–0.0379 हैक्टर में सम्पूर्ण, आराजी नम्बर–168/1, रकबा–0.3794 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर, आराजी नम्बर–94/1, रकबा–0.3035 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 124/2024 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. श्री दयाराम पुत्र श्री उदा जाति–गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा। ——वादीगण

बनाम

01. श्री जगु पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. रामा पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
03. मियाराम पुत्र श्री मन्दरूप जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उमरी, तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
04. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा ——प्रतिवादीगण

———

वादी की ओर से श्री मुकेश सिह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 03.02..2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वार राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम उमरी के खाता सख्या 115 मे वर्णित आराजी नंबर–168/2, रकबा–0.0379 हैक्टर में सम्पूर्ण, आराजी नम्बर–168/1, रकबा–0.3794 हैक्टर में से 0.09 हैक्टर, आराजी नम्बर–94/1, रकबा–0.3035 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिुपर्द कराया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा